चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ।

Ch. Charan Singh University, Meerut

पत्रांक : पी0ए0/3605
दिनांक: 27/4/2021

सेवा में,

समस्त प्रबन्धक/सचिव
समस्त सम्बद्ध महाविद्यालय/संस्थान,
चौधरी चरण सिंह विश्वविधालय,
मेरठ।

महोदय/महोदया,

जैसा कि आप पूर्ण रूप से विदित है कि वर्तमान समय में कोरोना संक्रमण काल चल रहा है। इस कोरोना संक्रमण काल में कतिपय संस्थानों द्वारा विश्वविद्यालय द्वारा गठित चयन समिति की संस्तुति एवं संस्थान के अनुरोध पर विश्वविद्यालय द्वारा अनुमोदित शिक्षकों के वेतन रोका जा रहा हैं अथवा कम दिया जा रहा है। सम्बन्धित शिक्षकों द्वारा समय से वेतन मांगने पर उनके अनुमोदन निरस्त कराना अथवा सस्थान से हटाने की कार्यवाही की धमकी दी जाती है जो कि कदाचित उचित नहीं हैं। जबकि आपके संस्थान/महाविद्यालयों में संचालित पाठ्यक्रमों (बी0ए0/बी0एस–सी0/बी0काम0/बी0ए0–एल0एल0बी0/एल0एल0बी0/एम0काम0/एम0एस0सी0/एम0एड0/बी0एड0/बी0एस–सी0 बायोटैक्नोजोजी /बी0एफ0ए0/ बी0जे0एम0सी0/एम0जे0एम0सी0/बी0बी0ए0/बी0सी0ए0 आदि में विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित अथवा उ0प्र0सरकार (उच्च शिक्षा) द्वारा अनुमोदित फीस सम्बन्धित छात्र/छात्राओं से लेकर ही प्रवेश लिया गया हैं साथ ही आपके संस्थान/महाविद्यालय में सम्बन्धित शिक्षकों द्वारा पठन–पाठन का कार्य ऑनलाईन किया जा रहा है एवं महाविद्यालय/सस्थान को बन्द करने का आदेश किसी भी सक्षम स्तर से नहीं दिया गया हैं।

उक्त के परिपेक्ष्य में मा0 कुलपति जी के आदेशानुसार आपको निर्देशित किया जाता है कि आपके महाविद्यालय/संस्थान में ऐसे शिक्षक जो विश्वविद्यालय से अनुमोदित है उनको नियमानुसार वेतन देना सुनिश्चित करें। अन्यथा सम्बन्धित शिक्षकों की शिकायत के आधार पर आपके महाविद्यालय/संस्थान के विरूद्ध विश्वविद्यालय कार्यवाही करने हेतु बाध्य होगा। जिसका समस्त उत्तर दायित सम्बन्धित महाविद्यालय/संस्थान का होगा।

अतः उपरोक्त आदेशों का कड़ाई से अनुपालन करना सुनिश्चित करें।

भवदीय,
27-04-2021
कुलसचिव

प्रतिलिपिः–

1. सचिव कुलपति को मा0 कुलपति जी के सूचनार्थ।
2. प्रति–कुलपति, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ।
3. क्षेत्रीय, उच्च शिक्षा अधिकारी, मेरठ।
4. प्रभारी, वेबसाइट को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
5. विश्वविद्यालय प्रेस प्रवक्ता।

कुलसचिव